पत्र संख्या–15/डी0 एल0 ए0–पटना (पहुँच पथ)–22/13 – 3109/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

<u>अधिघोषणा</u>

पटना, तारीखः 31-12-13

सं0 .... रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–सिकन्दरपुर, थाना नं0–51, थाना–मनेर, परगना– मनेर, जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात ई0एस0आई0सी0 मेडिकल कॉलेज –सह– अस्पताल, बिहटा के लिए पहूँच पथ निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–सिकन्दरपुर, थाना नं0–51, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 2.29 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या– 1908, 1909, 2935, 2936, 2939, 2945, 2948, 2950, 2954, 2955, 2956, 2968, 2969, 2970, 2971, 2974, एवं 2975 सभी अंश भाग जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है –

उत्तर : खेसरा सं0 1908, 1909, 1928, 2944, 2939, 2936, 2935, 2970, 2971 एवं 2974 सभी अंश भाग।

पूरब : खेसरा सं0– 3184 अंश।

दक्षिण : खेसरा सं0– 1908, 1928, 2945, 2948, 2950, 2954, 2955, 2956, 2957, 2968, 2969 एवं 2975 सभी अंश भाग।

पश्चिम : खेसरा सं0– 1904 एवं 1910 सभी अंश भाग।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कायेला, लोहा पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा 3 के खंड (1) तथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन 1961 एवं 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0

सरकार के उप सचिव

D:\Sudesh Sir\Adhisuchana & Adhighoshna\Sikandarpur Adhisuchana & Adhighoshna.doc

-3109 /रा०

ज्ञापांक संख्या–15/डी० एल० ए०–पटना (पहुँच पथ)–22/13 – ⁄ – दिनांक– 31-12-1

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

30/12/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।